फल व सब्जियों के श्रेणीकरण मापदण्ड

फल व सब्जियों को आकार के अनुसार छंटनी करना ही ग्रेडिंग है, जिसमें रंग, रूप, वजन के मापदण्डों के अनुसार अलग–अलग करना श्रेणीकरण में सम्मिलित है। उत्पाद को ग्रेडिंग व श्रेणीकरण करके ही स्थानीय थोक बाजार में विक्रय हेतु लाने से अच्छी कीमतें मिलती है। सीधी खरीद (Direct Purchasing) में ग्रेडिंग ऐच्छिक होता है, फिर भी ग्रेडेड माल की कीमत ज्यादा मिलती है।

गोलाकार फल व सब्जियाँ रिंगाकार साचों में आसानी से ग्रेड किये जा सकते हैं, जो लकडी, प्लास्टिक व रबड़ आदि से निर्मित बने होते हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। लघुस्तर पर मेकेनिकल ग्रेडर भी काम में लिए जा रहे हैं। पकाव के अनुसार ग्रेडिंग करने से तुलनात्मक रूप से अच्छी कीमतें मिलती है। जैसे स्टोनफ्रूट, आम तथा टमाटर। मेच्योर ग्रीन फल कम समय (1 से 2 माह) तक उपयुक्त भण्डार गृहों में सुरक्षित भण्डारित किये जा सकते हैं, जबकि पके फल जल्दी बेचने पडते हैं। इसी दृष्टि से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, फरीदाबाद द्वारा फल–सब्जियों के ग्रेंडिग के मानक निम्न प्रकार तय किये हैं :–

फसल उत्पाद	साईज कोड़	साईज (mm)	फलों की संख्या प्रति पैक(10 kg)
किन्नू	A	60-64	84
	B	65-69	72
	C	70-72	60
	D	72-74	54
	E	75-79	51
	F	80-85	45
आम	साईज कोड़	फल का वजन(ग्राम)	अधिकतम वजन अन्तर सीमा(ग्राम)
	A	100-200	50 xzke
	B	201-350	75 xzke
	C	351-550	100 xzke
	D	551-800	125 xzke
अमरूद	साईज कोड	वजन (ग्राम)	आकार (mm)
	A	>350	>95
	B	251-350	86-95
	C	201-250	76-85
	D	151-200	66-75
	E	101-150	54-65
	F	61-100	41-53

अनार	ग्रेड कोड	फल का वजन (ग्राम)	आकार (mm)
	A	400	90
	B	350	80
	C	300	70
	D	250	60
	E	200	50
पत्तागोभी	साईज कोड	फल का वजन (ग्राम)	
	A	201-600	
	B	601-1200	
	C	1201-अधिक	
टमाटर	साईज कोड	फल का वजन (ग्राम)	
	1	30-34	
	2	35-39	
	3	40-46	
	4	47-56	
	5	57-66	
	6	67-81	
	7	82-102	
	8	102-अधिक	
प्याज	साईज कोड	आकार (mm)	एक ही पैकिंग में छोटे व बडे प्याज के आकार में अन्तर (mm)
	A	10-20	5
	B	21-40	15
	C	41-70	20
	D	71-अधिक	30

ग्रेडिंग करने की मशीनों पर भारत सरकार 25% अधिकतम 50 लाख रूपये का बैंक एडेड अनुदान।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर दूरभाषः 0141–2227336 फैक्स : 0141–2227096
ई–मेल : rsamb@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.rsamb.rajasthan.gov.in